न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2016 / 00312

1. कपूरचंद पुत्र आनन्दा, जाति कुम्हार, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. कान्ता शाह पत्नि बी0के0 शाह, जाति महाजन, निवासी 21, सुदर्शनपुरा, विस्तार—22 गोदाम, जयपुर जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 16.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 76 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत एवं श्री फकरूद्दीन खान, वकील अपीलांट।
2. श्री हरीश शर्मा एवं श्री रामजीलाल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 .

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069—2072 के आराजी खाता संख्या 55 के आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 756 रकबा 0.66 है0, खसरा नंबर 803 रकबा 3.74 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.41 है0 वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादिया का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा है । विवादित आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काफी वर्षो पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार हरे रंग से दर्शित आराजियात पर वादिया काबिज काश्त है तथा बिना रंग की आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है । अतः वाद स्वीकार कर इसी अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने दिनांक 6.1.2016 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.6. 2016 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.9.2015 को जारी नोटिसों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है जबकि उक्त नोटिस कभी भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए थे न ही पत्रावली के साथ पेश नोटिसों पर कितनी तारीख को तामील करवाई गई ही अंकित है बल्कि इस पर कपूरचंद के हस्ताक्षर किये हुए है जो फर्जी है। अधी0न्याया0 ने इस फर्जी तामील के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि जब अधी0न्याया0 के समक्ष घोषणा का वाद विचाराधीन था तो ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को बंटवारे के वाद को विधिनुसार प्राथमिक डिक्री नहीं करना चाहिये था । ऐसा कर अधी0न्याया0 गंभीर त्रुटि की है । अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला जिससे निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की थी ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को बिना साक्ष्य लिये उक्त प्रकरण को निर्णित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 या तो वाद को वादपत्र के अनुतोष अनुसार डिक्री करते अथवा खारिज करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर मनमाना आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 16.6.2016 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा जारी वाद नोटिस अपीलांट को तामील हो चुके थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं होने से अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। विवादित आराजियात में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.1.2016 के विरूद्ध अपील संख्या 2016/00298 बउनवान कपूरचंद बनाम कान्ता शाह पेश की गई थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.6.2016 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.1.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 16.6.2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.1.2016 के आधार पर निर्णित की गई है तथा जब प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 6.1.2016 निरस्त हो चुका है तो उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक दिनांक 16.6.2016 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर